न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान मेजर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

वाद–पत्र संख्या – 147/2025

निर्णय दिनांक ......13/06/2025......

मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर.टी. एक्ट 88, धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थितिः–

1. श्री प्रदीप कुमार योगी (वकील वादी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा सारायण पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता सं. 227 खसरा सं. 548/78 तादादी 6.1834, हैक्ट के हिस्सा 1/4 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा सारायण पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर में वादी का नाम मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह की जगह मंगेजसिंह पुत्र हनुमानसिंह गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में सही नाम मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादी को उक्त कृषिभूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने व अन्य कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती. करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा सारायण पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता सं. 227 खसरा सं. 548/78 तादादी 6.1834, हैक्ट के हिस्सा 1/4 में वादी का नाम मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह व मंगेजसिंह पुत्र हनुमानसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वादी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य वादी पी.डब्लू. 01 का शपथ पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू 01 के बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह पाया जाता है। मौखिक साक्ष्य वादी बयान पी.डब्लू. 01 से भी दावा की पुष्टि होती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड में वादी का नाम मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मंगेजसिंह पुत्र हनुमानसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही सारायण पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **मंगेजसिंह पुत्र हनुमानसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **मेजर सिंह पुत्र हनुमान सिंह** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......13/06/2025...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)